

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

// :: आदेश :: //

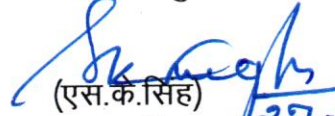
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/06/2024

क्रमांक एफ 6-10/2025/वाक/पांच- राज्य शासन एतद्वारा विभाग में कार्यरत निम्नलिखित राज्य कर संयुक्त आयुक्त को अस्थाई रूप से तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

स क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती भावना अली	संयुक्त आयुक्त राज्य कर, दुर्ग संभाग	संयुक्त आयुक्त राज्य कर, नवा रायपुर संभाग
2	श्रीमती गुलापा पुरसेठ	संयुक्त आयुक्त राज्य कर, नवा रायपुर संभाग	संयुक्त आयुक्त राज्य कर, दुर्ग संभाग
3	श्री नरेंद्र कुमार वर्मा	संयुक्त आयुक्त राज्य कर (प्रवर्तन) रायपुर	संयुक्त आयुक्त राज्य कर बी.आई.यू. (मुख्यालय)

2/ उपरोक्त स्थानांतरण के संबंध में समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एस.के.सिंह)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठांक.एफ 6-10/2025/वाक/पांच,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/06/2025

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. आयुक्त, राज्य कर, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर।
7. राज्य कर संयुक्त आयुक्त, नवा रायपुर संभाग/दुर्ग संभाग/(प्रवर्तन) रायपुर/(बी.आई.यू. मुख्यालय), वाणिज्यिक कर विभाग, छ.ग.।
8. कलेक्टर, जिला-रायपुर/दुर्ग छ.ग.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-रायपुर/दुर्ग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।
10. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमतीकी ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 01-01/2024/एक/6 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 में दिये गये निर्देशानुसार नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।
11. आदेश फोल्डर/गार्ड फाईल।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग